आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

20/1/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-38/2017-18

नरेश लकड़ा, ...आवेदक।

बनाम्

वरूण कुमार सिन्हा, ... विपक्षी।

आदेश

आवेदक नरेश लकड़ा, पिता–स्व० बिरसा उराँव, निवास ग्राम–चुना भट्ठा, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु यह वाद दायर किया गया है। आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी निम्नांकित जमीन को विपक्षी वरूण कुमार सिन्हा, पिता–स्व० नागेश्वर सिन्हा, निवास ग्राम–चुना भट्ठा, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची द्वारा छल प्रपंच से हड़प लिए है।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
कोकर	196	259	859	19 डी०

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन रिवीजनल सर्वे खतियान में भोजा उरांव वो बुधुआ उराँव वो बिरसा उराँव पेशरान हउआं उरांव के नाम से कायमी दर्ज है। आवेदित भूमि अनुसूचित जनजाति के सदस्य की हैं। विपक्षी ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदक को बेदखल कर दिए हैं।

इसी को आधार मानते हुए विपक्षी को नोटिस निर्गत किया गया तथा अंचलाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र सं०–495 दिनांक–11.09.2017

20/1/25

कृ०पृ०उल्टे

20/1/25

में वंशावली दर्शाये हैं कि उपरोक्त भूमि आर०एस० खतियान में भोजा उराँव वो बुधुआ उराँव वो बिरसा उराँव पेशरान हउआ उराँव के नाम से कायमी दर्ज है। खतियानी रैयत हउआ उराँव अपने पीछे भोजा उरांव, बुधुवा उरांव (नावल्द) एवं बिरसा उराँव को छोड़ गये हैं। बिरसा उराँव अपने पीछे बिजनाथ लकड़ा एवं नरेश लकड़ा (आवेदक) को छोड़ गये। बिजनाथ लकड़ा अपने पीछे राजु लकड़ा को छोड़ गये।

आवेदक का कहना है कि विपक्षी उपायुक्त, राँची के अनुमति प्राप्त किये बिना जमीन को हड़प लिये हैं, जो की छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71"A" का उल्लघंन है। आवेदक की ओर से दो गवाह प्रस्तुत की गई है। गवाह सं०–01 श्री नरेश लकड़ा, पिता–स्व० बिरसा उराँव अपने शपथ पत्र में कहते है कि दस वर्ष पूर्व मेरी 19 डिसमिल जमीन को उपायुक्त के परमिशन के छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 एवं धारा–49 के बिना जमीन को हड़प लिए है। यह जमीन छप्परबंदी नहीं है। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि 1959 ई० में निबंधित पट्टा से जमीन की बिक्री हुई है, तथा ऐसी बात नहीं है कि मैं खातियानी रैयत का वंशज नहीं हूँ। गवाह सं०–02 महावीर मुण्डा, पिता–बुधु मुण्डा अपने शपथ पत्र में कहते हैं कि विपक्षी 19 डिसमिल जमीन को गैर–कानूनी रूप से हड़प लिए है। आवेदक की ओर से आर०एस० खतियान की छायाप्रति दाखिल की है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया, जिसमें कहते है कि यह वाद 65 वर्ष बाद लाया गया है, जो कालबाधित है, तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत भू–वापसी का वाद चलने योग्य नहीं है। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। बुधुवा उराँव एवं बिरसा उराँव ने दिनांक–16.02.1952 ई० को निबंधित पट्टा से जमीन को मोसमात रामदासी जौजे रामेश्वर साहु को बेच दिया, जिसका खाता सं०–259, प्लॉट–858 एवं 859, कुल रकबा–22 डिसमिल है, जो कि छप्परबंदी भूमि है। इसमें छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। पुनः रामदासी ने 19 डिसमिल जमीन को लक्ष्मी देवी पति–सत्यनारायण प्रसाद को खाता सं०–259 प्लॉट–859 को निबंधित पट्टा से

M:-J 20/1/25

कृ०पृ०उल्टे

बेच दिया, जिसका पट्टा सं०–5203, दिनांक–20.08.1959 है। लक्ष्मी देवी विपक्षी की माँ है, तथा अपने नाम पर राँची नगर निगम, राँची में टैक्स देते आ रही है। जिस पर 1960 ई० से घर–मकान बनाकर रह रही हैं। इसलिए यह वाद को खारिज किया जाए।

विपक्षी की ओर से तीन गवाह प्रस्तुत किये गवाह सं०–01 वरूण कुमार पिता--स्व० सत्यनारायण प्रसाद ने अपने शपथ पत्र में कहते है कि मेरे माँ लक्ष्मी देवी के नाम पर हॉल्डिंग टैक्स कट रहा है, यह भूमी छप्परबंदी है, जिसपर मैं 70 वर्षो से रह रहा हूँ। ये अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि खाता सं०–259 आदिवासी खाते की जमीन के परमिशन के बारें में मुझे मालूम नहीं एवं छप्परबंदी का कोई कागजात दाखिल नहीं किया है, तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 एवं 49 परमिशन नहीं लिया है। गवाह सं०–02 अनील कुमार चौरसिया, पिता–राम परिक्षण चौरसिया अपने शपथ पत्र में कहते है कि लक्ष्मी देवी एवं उनके पति सत्यनारायण प्रसाद मृत्यु हो चुकी है। यह भूमि छप्परबंदी है, परन्तु यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि छप्परबंदी एवं परमिशन से संबंधित कागजात नहीं देखा है। गवाह सं०–03 राजीव चटर्जी, पिता–स्व० देवेन्द्रनाथ चटर्जी अपने शपथ पत्र में कहते है कि जमीन छप्परबंदी है, तथा लक्ष्मी देवी के नाम पर हॉल्डिंग टैक्स कट रहा है, यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि छप्परबंदी को कोई भी कागज मैंने नहीं देखा है। विपक्षी की ओर से निबंधित पट्टा की छायाप्रति एवं हॉल्डिंग टैक्स की रसीद जमा किये हैं, तथा विपक्षी की ओर से कई वाद का हवाला दाखिल किये है, जो इस प्रकार है।

1. "Civil Appeal Nos. 2414-15 of 1999 (10-09-2024), **Situ Sahu and Ors. Versus State of Jharkhand & Ors"**
2. "Hon'ble Jharkhand High Court, (Ranchi Bench) Civil Writ Jurisdiction Case No. 695 of 1987 (R) (23-09-199) **Jageshwar Teli Versus The State of Bihar"**
3. "LPA No. 61 of 2004 (03-03-2009) **Godwin Ekka Versus The State of Bihar"**

M:- 20/1/25

4. "Civil Appeal No. 3267 of 2001**Fulchand Munda Versus State fo Bihar"**
5. **Akhileshwar Prasad Shrivastva Vs Commissioner, South Chhotanagpur Division, Murlidhar Gupa Vs State of Bihar,** 1990(1) PLJR Page No. 707 and 1987BLT Page No. 305
6. Anupma Rai Vs State of Bihar 2003 (3) JCR Page No. 548
7. Jaimangal Oraon Vs Meera Nayak
8. Mitku Koiry Vs State of Bihar

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस की गयी तथा लिखित बहस भी दाखिल की गयी, बहस में कहते है कि मौजा–कोकर, खाता सं०–259, प्लॉट सं०–859, रकबा–19 डिसमिल के खतियानी रैयत भौजा उराँव वो बुधवा उराँव वो बिरसा उराँव पेशरान हउवा उराँव है। यह जमीन अनुसूचित जनजाति की है, इसे उपायुक्त के परमिशन के बिना खरीद–बिक्री नहीं की जा सकती है। विपक्षी की ओर से कोई भी छप्परबंदी से संबंधित दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है,। छप्परबंदी से संबंधित खतियान में छप्परबंदी लिखा होना चाहिए, छप्परबंदी से संबंधित आवेदन पर अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन आयुक्त दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची को भेजा जाता है, इनके स्वीकृति के पश्चात् ही जमीन को छप्परबंदी माना जाएगा। जमींदार द्वारा छप्परबंदी लिख देने से, वह जमीन छप्परबंदी नहीं माना जाएगा। इसलिए इस भूमि को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 "A" के अंतर्गत जमीन वापस होना चाहिए। इस संबंध में CNT Book की छायाप्रति दाखिल की गयी है, जो इस प्रकार है।

Chapter –II, Process of Land Alienations,

(II) Illegal transfers.- Illegal transfers without the senction of Deputy Commissioner may be divided into the following categories:-

(i) Through collusive title suits miscalled declaratory suits of the Civil Court.

(ii) Parting with possession by Adivasis of their lands on receipt of small consideration money without execution

20/1/25

of any registered deed.

Through ante-dated Sada Hukumnama of the old

(iii) Zamindar showing Chaparbandi right and thereby enabling transfer without permission of Deputy Commissioner.

(iv) Through a novel way of producing certified copies of Tonant's Ledger in which Chaparbandi right is interpolated.

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से बहस की गयी तथा लिखित बहस भी दाखिल की गयी, बहस में कहते है कि यह वाद 65 वर्ष बाद लाया गया है इसलिए यह वाद का पोषणीय नही है एवं कालबाधित है। तथा विपक्षी छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 का उल्लंघन नहीं किया है, जिस कारण जमीन वापस नहीं होना चाहिए। आवेदक खतियानी रैयत के वंशज नहीं है। यह वाद में जमीन को धोखाधड़ी से नहीं लिया गया है। बुधवा उराँव और बिरसा उराँव दोनों के पिता–हउवा उराँव ने दिनांक–16.02.1952 ई० को मोसमात रामदासी को बेच दिया, इसमें छप्परबंदी लिखा हुआ है। म्यूनिसिपल एरिया में 46 परमिशन की आवंश्यकता नहीं है। विपक्षी की ओर नगर निगम राँची में हॉल्डिंग टैक्स जमा कर रहें है। पुनः मोसमात रामदासी ने दिनांक–20.08.1959 को लक्ष्मी देवी पति–सत्यनारायण प्रसाद को निबंधित पट्टा से बेच दिया, जिसका पट्टा सं०–5203 है, जो लक्ष्मी देवी विपक्षी की माता है। यह भी अपने नाम पर राँची नगर निगम, राँची में हॉल्डिंग टैक्स दे रही है, तथा 1960 से घर–मकान बनाकर रह रहीं है। इन्होंने CNT Act का कोई उल्लंघन नहीं किया है। यह वाद 65 वर्ष बाद लाया गया है, इसलिए इस वाद को खारिज किया जाए।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने एवं लिखित बहस प्रस्तुत करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचे वर्णित भूमि आदिवासी खाते की है। तथा छप्परबंदी से संबंधित विपक्षी की ओर से कोई भी वैध दस्तावेज दाखिल नहीं की गया है, सिर्फ जमींदारी रसीद से छप्परबंदी भूमि साबित नहीं होता है।

20/1/25

कृ०पृ०उल्टे

अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71"A" के अंतर्गत प्रश्नगत जमीन से विपक्षी वरूण कुमार सिन्हा, पिता–स्व॰ नागेश्वर सिन्हा, निवास ग्राम–चुना भट्ठा, कोकर, थाना–सदर, जिला–राँची को मौजा–कोकर, थाना नं॰–196 खाता सं॰–259, प्लॉट सं॰–859 कुल रकवा–19 डी॰ पर अवैध रूप से दखलकार, को बेदखल करते हुए, आवेदक को जमीन वापस किया जाता है, तथा विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना हो तो 03 माह के अंदर हटा लें।

तदनुसार अंचल अधिकारी, बड़गाई को दखल देहानी हेतु आदेश निर्गत करें कि यदि प्रश्नगत भूमि पर कोई संरचना निर्मित हो तो उसे हटाने हेतु प्रावधानुसार विपक्षी को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए आवेदक को सहित खतियानी रैयत के अन्य वैध वंशजो को दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

20/1/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

20/1/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

ज्ञापांकः– 13 (ii) दिनांकः– 20/01/25

प्रतिलिपिः– अंचल अधिकारी, बड़गाई, राँची को प्रश्नगत भूमि पर वैध वंशजो को दखल–देहानी हेतु प्रेषित।

20/1/25

विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.03.07 16:48:46 +05:30
Location: 192.168.123.39